

भारत में हेट क्राइम

प्रलिस के लयः

हेट क्राइम, अनुच्छेद 14, IPC की धाराएँ (153A 153B, 295A) ।

मेन्स के लयः

हेट क्राइम के खलाफ भारतीय कानून, हेट क्राइम के लयः ज़मिमेदार प्रमुख कारक, भारत में हेट क्राइम से नपिटने के संभावति तरीके ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने कहा कि हेट स्पीच को लेकर आम सहमति बढ रही है, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत जैसे धर्मनरिपेक्ष देश में [धर्म](#) के आधार पर [हेट क्राइम](#) के लयः कोई गुंजाइश नहीं है तथा नागरिकों को हेट क्राइम से बचाना राज्य का प्राथमकि कर्तव्य है ।

हेट क्राइम (Hate Crimes):

परचयः

- हेट क्राइम व्यक्तियों या समूहों के खलाफ उनके धर्म, जाति, नस्ल, यौन अभिविन्यास या अन्य पहचान के आधार पर कयि गए हसिक या अपमानजनक कृत्यों को संदर्भति करता है ।
 - इन अपराधों में अक्सर हसिा, डराना या धमकी देना शामिल होता है और वे उन व्यक्तियों या समूहों को लक्षति करते हैं जनिहें अलग या हाशयि के रूप में माना जाता है ।
- भारतीय संवधान समानता की गारंटी प्रदान करता है और धर्म, नस्ल, जाति, लयि या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतर्बिधति करता है ([अनुच्छेद 14](#)), लेकनि इसके बावजूद हेट क्राइम देश में एक नरितर समस्या बनी हुई है ।

घृणा अपराधों के खलाफ भारतीय कानून:

- हेट क्राइम के वभिन्न रूपों के कारण इसे न तो भारतीय कानून में पर्याप्त रूप से परभाषति कयिा गया है और न ही एक पारंपरिके वविरण तक सीमति कयिा गया है ।
 - हालाँकि [भारतीय दंड संहति \(IPC\) की धारा 153A, 153B, 295A, 298, 505\(1\), और 505\(2\)](#) नफरती भाषण के मामलों से नपिटती है तथा स्पष्ट करती है कनिस्ल, जाति, जातीयता, संस्कृति, भाषा, कषेत्र या कसिी अन्य कारक के आधार पर घृणा या अपमान जैसी भावना को उकसाने के लयि बोले या लिखिे गए शब्दों का उपयोग करना अवैध है ।

हेट क्राइम के प्रमुख कारक:

- धार्मकि और जातीय तनाव: भारत वभिन्न धार्मकि और जातीय समूहों वाला एक वविधितापूर्ण देश है । इस प्रकार केतनाव अक्सर हसिा और हेट क्राइम्स को जन्म देते हैं ।
- जाति-आधारति भेदभाव: जाति-आधारति पूर्वाग्रह का भारत में एक लंबा इतिहास रहा है, जसिनेकुछ समुदायों को हाशयि पर धकेल दयिा है और उनके खलाफ हेट क्राइम में योगदान दयिा है ।
- राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव: हेट क्राइम्स को नरितरति करने के लयि कानूनों और वनियमों के बावजूद उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लयि राजनीतिके इच्छाशक्ति की कमी ने ऐसे अपराधों के घटति होने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार कयिा है ।
- सोशल मीडयिा एवं भ्रामक सूचना: [सोशल मीडयिा पर अभद्र भाषा और भ्रामक सूचना](#) का प्रसार तनाव में वृद्धिके साथ घृणति अपराधों की बारंबारता में वृद्धि कर सकता है ।

भारत में हेट क्राइम से नपिटने के संभावति उपायः

- जागरूकता अभयान: हेट क्राइम को संबोधति करने में पहला कदम व्यक्तियों और समाज पर इसके हानकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढाना है ।
 - मास मीडयिा अभयान और सामुदायिके आउटरीच कार्यक्रमों का उपयोग लोगों को हेट क्राइम के परिणामों के बारे में शक्ति करने और उन्हें ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने के लयि प्रोत्साहति करने हेतु कयिा जा सकता है ।

- **सामुदायिक जुड़ाव:** हेट क्राइम को संबोधित करने में समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह कार्य सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से किया जा सकता है ताकि लोग एक साथ आ सकें और उन वर्षियों पर खुलकर तथा ईमानदारी से चर्चा कर सकें जो उन्हें वभिजति करती हैं।
 - यह वभिन्न समुदायों के मध्य सेतु की भाँति कार्य करेगा जो उनकी समझ और सम्मान को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** हेट क्राइमस की रपिर्गि और ट्रैकगि में सुधार के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। इसमें हेट क्राइम के रुझानों और हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिये ऑनलाइन रपिर्गि ससि्टम वकिसति करना तथा डेटा एनालटिक्स का उपयोग करना शामिल हो सकता है।
- **पुनरस्थापनात्मक न्याय कार्यक्रम:** पुनरस्थापनात्मक न्याय कार्यक्रम (Restorative Justice Programs) का उद्देश्य क्षतपूरति करना और पीड़ितों, अपराधियों तथा समुदाय के बीच संबंधों को सामान्य बनाना है।
 - इन कार्यक्रमों का उपयोग हेट क्राइम के मामलों में प्रभावति समुदायों के बीच उपचार और सुलह को बढ़ावा देने हेतु किया जा सकता है।
- **कड़ी सजा:** हेट क्राइम से नपिटने का एक और तरीका है कि इस तरह के व्यवहार में लपित लोगों पर कठोर दंड लगाया जाए। यह उन लोगों के लिये एक नविरक के रूप में काम कर सकता है जो हेट क्राइम में लपित हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/hate-crimes-in-india>

